

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/सूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करती ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगरी के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्फल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनाधी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 650 दिनांक 30/7/2020

प्राथी शजेन्द्र गोष्ठी डा/6 श्री मोहनलाल गांधी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 6677/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/9811, 9812

दिनांक 30/7/2020 को जमा करा दी है ।

30/7/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

शजेन्द्र गांधी^म 938-15-93096

पती+/
आवासीय

P.No: 62-31 चौपालनी
डाउनिंग बोर्ड